

जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

संविदा आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

आवेदन हेतु अंतिम तिथि... 04.01.2023

विज्ञापन संख्या 02/2022

अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड रांची, के पत्रांक 2463 (MD) दिनांक 24.08.2021 के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत संविदा आधारित निम्नलिखित जिला स्तरीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु योग्यता एवं अहर्ता रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन (विहित प्रपत्र में) आमंत्रित किया जाता है।

रिक्त विवरणी (बैकलॉग)

क्र० सं०	कार्यक्रम	पद का नाम	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरणी							
			कुल रिक्त पद	अनारक्षित	अधिवर्ग (अनु०-1)	पि० वर्ग (अनु०-2)	अउ०	अउ०/अउ०	आदिम जनजाति	खोलकर कोटा	महिला	दिव्यांग				
												अंधापन और कम दृष्टि (क)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	स्वीनता बौद्धिक निःशक्तता एवं बहु निःशक्तता (घ)	
1	RCH	ANMs	99	0	18	16	10	55	1	2	0	1	1	1	1	

(2) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, अनुभव एवं पारिश्रामिक राशि (प्रतिमाह) :-

Programme	Post	Qualification	Remuneration (Rs per month)
RCH	ANMs	Essential Qualification 1. 10+2 or equivalent examination & should have completed ANM Course from Institution Recognised by Govt. and Approved by INC. 2. Registered Under Jharkhand Nursing Council.	11500/-

नोट- उपरोक्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक एवं इण्टरमीडिएट (10 +2) कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड रांची के अधिसूचना संख्या 3846 दिनांक 10 अगस्त 2021, अधिसूचना संख्या 3847 दिनांक 10 अगस्त 2021, अधिसूचना संख्या 3848 दिनांक 10 अगस्त 2021, अधिसूचना संख्या 3849 दिनांक 10 अगस्त 2021 एवं अधिसूचना संख्या 3850 दिनांक 10 अगस्त 2021 के आलोक में)

(3) न्यूनतम उम्र सीमा: 21 वर्ष
अधिकतम उम्र सीमा: -

कोटि	सामान्य अधिकतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा (विकलांगों के लिए)
General	35	45
OBC/BC	37	47
Female (Gen/OBC/BC)	38	48
SC/ST	40	50

न्यूनतम/अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि-01.08.2022

(4) चयन की प्रक्रिया :

- नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा।
- जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर नियुक्ति में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांक/ Written Test/ Skill Test/ साक्षात्कार, एक या एक से अधिक जो लागू हो, के आधार पर किया जायेगा।
- योग्य आवेदकों को ही लिखित/ प्रयोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
- कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के अंतर्गत अंकन प्रक्रिया (marking Scheme)

1. कुल अंकन (Marking) 100 अंको का होगा, ये 100 अंक निम्न 3 उप वर्गों में विभाजित होगा जो कार्य की प्रकृति एवं पद के अनुसार आवश्यक कौशल के आधार पर निर्धारित होगा। उम्मीदवारों अंतिम चयन का मापदंड तीन वर्गों में कुल प्राप्तांक एवं उम्मीदवारों द्वारा प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन के अधीन होगा-

SI No.	Marking Scheme	Maximum marks
1	a) Academics b) Relevant higher Qualification in the concered stream of education, if applicable.	50 10
2	Skill Test, depending upon the job requirments of the job assignment	25
3	Interview	15

2. जिन पदों में Skill Test नहीं लेना है, उनकी अंकन प्रक्रिया (marketing Scheme) उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यत, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार में कुल प्राप्तांक तथा उम्मीदवारों द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के सफल सत्यापन के अधीन होगी। अंकन प्रक्रिया की विस्तृत विवरणी निम्न है-

SI No.	Marking Scheme	maximum marks
1	Academics	60
2	Relevant higher Qualification in the concered stream of education, if applicable.	25
3	Interview	15

3. परीक्षा का माध्यम संभावित अभ्यर्थियों की संख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए गठित समिति के प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पदवार नियुक्ति की माध्यम निम्न होगी:-

क्रम	पदों की संख्या	प्राप्त आवेदन की संख्या
1	1-20 तक	100 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन एवं उक्त से कम होने की स्थिति में साक्षात्कार या अन्य प्रणाली पर जिला स्वास्थ्य समिति स्वयं निर्णय लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किया जायेगा।
2	20 से अधिक	5 गुणा अथवा 100 से अधिक अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।

- VI. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के अनुरूप योग्यता एवं अर्हता पूर्ण करने वाले सभी अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा/योग्यता परीक्षा/साक्षात्कार जो भी मान्य हो, लेते हुए मेधा सूची तैयार की जाएगी।
- VII. अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा मेधा सूची की अंतिम रूप से अनुमोदित की जायेगी।
- VIII. उम्मीदवारों की चयन संबंधी सूची दो भागों में तैयार की जाएगी। भाग A मे पद का नाम रोस्टर बिंदु, रिक्ति, सुयोग्य अभ्यर्थियों के नाम प्राप्तांक एवं योग्यता क्रमांक होगा। द्वितीय भाग B प्रतीक्षा सूची के रूप में मानी जायेगी। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिये मान्य होगा। यह सूची भी रोस्टरवार योग्यता कम से ही तैयार होगी एवं उतने ही अभ्यर्थियों की बनेगी जितने पद उक्त कोटि के लिए अनुमान्य होगी। भाग A सूची से चयनित उम्मीदवारों के योगदान नहीं करने पर भाग B की सूची से रोस्टरवार बिन्दुओं के उम्मीदवारों में से योग्यता कम से उम्मीदवार का चयन स्वतः कर लिया जायेगा। चयनित व्यक्तियों को निर्बंधित डाक से सूचना दी जायेगी।
- IX. अंतिम रूप से आरक्षण कोटिवार तैयार मेधा सूची प्रतीक्षा सूची के साथ जिला समाहरणालय एवं सिविल सर्जन कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी।
- X. चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि किसी फौजदारी मुकदमें में दंडित नहीं होने के आशय का शपथ पत्र आवश्यक जमा करेंगे अन्यथा नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जाएगी और भुगतान किये गये मानदेय वसुलनीय होगी।
- XI. योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ असेनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के नाम से निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे।
- (5) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवास प्रमाण पत्र
- (i) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के संदर्भ में जिला/अनुमण्डल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-1 पर धारित है अथवा कार्मिक, पुशासनिक सुधार तथा राज भाषा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1754, दिनांक-25.06.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-III पर धारित है।

(ii) झारखण्ड राज्य के अत्यन्त वर्ग (अनुसूची-1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के संदर्भ में दिनांक-29.08.2022 को अथवा इसके पश्चात्, उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर किमी लेयर जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर किमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है अथवा कार्मिक, पुशासनिक सुधार तथा राज भाषा, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1754, दिनांक-25.06.2019 आलोक में दिनांक-25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है।

(iii) सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.2016 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VII पर धारित है अथवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752, दिनांक-19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात् अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VIII पर धारित है।

(6) आवेदन शुल्क- प्रत्येक पद के लिए सामान्य कोटि/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 400/- रुपये, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदकों के लिए 200/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से भुगतान होगा।

(7) चयन की शर्तें

I. सभी पदों की नियुक्ति संविदा के आधार पर किया जायेगा।

II. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों का कोई नियोजन नहीं होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा।

III. चयनित अभ्यर्थियों का एक वर्ष के लिए अनुबंधित किया जाएगा। तथापि एक वर्ष के पश्चात् अनुबंध का नवीकरण उनके नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अथवा कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।

IV. चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से की जाएगी।

V. संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों को एक माह की नोटिस अथवा एक माह का मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

VI. चयन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना / प्रपत्र गलत पाए जाते हैं तो उनकी उम्मीदवारी/ नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कारवाई की जा सकती है।

VII. जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर - कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं, वे मार्कशीट के साथ-साथ CGPA रूपांतरण चार्ट (Conversion Chart) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

VIII. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदक को अलग-अलग आवेदन करना अनिवार्य होगा।

IX. नियुक्ति प्रक्रिया में समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

X. समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन के शर्तों में संशोधन किया जा सकता है।

XI. नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार/संपर्क मान्य नहीं होगा।

XII. जिला चयन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन/रद्द भी किया जा सकता है।

(8) आवेदन की प्रक्रिया-

I. सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 04.01.2022 के अपराहन 05:00 बजे तक ही असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, खासमहल, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर-831002 में ही स्वीकार किये जायेंगे। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

II. आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र (कंडिका -2 के अनुसार), आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, (कंडिका-5 के अनुसार) जन्म तिथि प्रमाण पत्र (प्रवेशिका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र/अंक प्रमाण पत्र) की स्व अभिप्रमाणित प्रति, दो पासपोर्ट साईज का फोटो, बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति तथा स्वयं पत्राचार लिखित लिफाफे में 32 रू0 का डाक टिकट संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन का अस्वीकृत कर दी जायेगी।

III. किसी अन्य कार्यालय अथवा किसी अन्य माध्यम से आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

IV. लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या..... एवं पद का नाम.....अंकित करना अनिवार्य होगा।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

01/12/22
01/12/22

जिला स्वास्थ्य समिति, पूर्वी सिंहभूम में NHM अन्तर्गत संविदा पर नियुक्ति हेतु
आवेदन का विहित प्रपत्र

सेवा में

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

विज्ञापन संख्या :

स्वः
अभिप्रमाणित
हाल का

1 पद का नाम :

2 आवेदक का नाम :

3 पिता/पति का नाम :

4 जन्म तिथि : पुरुष/महिला :

5 उम्र (01.08.2022 को) : वर्ष..... महीना..... दिन.....

6 मोबाईल नं० :ई०मेल

7 स्थायी पता पिन कोड सहित :

8 पत्राचार का पता, पिन कोड सहित :

9 श्रेणी (कोटि)- (सामान्य/पिछड़ा वर्ग (BC2)/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (BC1)/ अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति
..... (आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10 आवासीय प्रमाण पत्र : हौं/ना

11 शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :

क. क्रमशः उच्चतम योग्यता से शुरू करते हुए न्यूनतम दसवीं तक की योग्यता अंकित करें।

ख. सारे योग्यताओं के स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अवश्य संलग्न करें।

परीक्षा का नाम	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्राप्तांक का प्रतिशत

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें CGPA स्कोर प्राप्त है उन्हें संबंधित संस्थान का CGPA Chart प्रस्तुत करते हुए प्राप्तांक का प्रतिशत अंकित करेंगे।

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

12 कार्य अनुभव (यदि कोई हो तो) :

क. वर्तमान में किए जा रहे कार्य अनुभव से शुरुआत करते हुए सभी कार्य अनुभवों को दर्ज करें।

ख. स्वयं सेवक (Volunteer) के रूप में किया गया कार्य अनुभव मान्य नहीं होगा।

ग. सरकारी संस्था एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान में किए गये कार्य के अनुभव की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

घ. सभी कार्य अनुभवों की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

पद का नाम	संस्थान का नाम	अनुभव (तिथि/अवधि अंकित करें)	
		कब से कब तक	अवधि

13 शारीरिक रूप से विकलांग

(सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें।)

14 परीक्षा शुल्क की विवरणी

DD No.	Date of Issue	Drawn From Bank & Branch

15 संलग्न प्रमाण पत्रों की विवरणी

क्रम संख्या	प्रमाण पत्रों की विवरणी	पृष्ठ संख्या

घोषणा

उपरोक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है कोई भी गलत सूचनाएँ पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

तिथि :

अभ्यर्थी का पूर्ण हस्ताक्षर





परिशिष्ट-1

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जा.नि.-19-11/2008
का.-5682 दिनांक- 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

जाति प्रमाण-पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या-.....

तिथि:-.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला
डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/उप जाति
के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में
मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..... एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः
गांव/कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य..... में
निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट-(II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 7/जाति-19-11/2008
का.-10007 दिनांक- 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं,
जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
(अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में
मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग,
भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक- 08.09.
1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।
स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

दिनांक :-

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

- * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
- ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनामकार्यालय

के सील सहित

परिशिष्ट-(III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/जा.नि.-03-13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का फार्म
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में) पता-ग्राम/वार्ड/शहर.
..... पो०.....थाना..... जिला/प्रमंडल.....
.....राज्य/संघशासित प्रदेश, झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा
अनुसूचित जनजाति के अधीनजाति के सदस्य हैं तथा धर्म को मानने
वाले हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के ग्राम/नगर
..... जिला/प्रमंडल में निवास करते हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की
सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की
धारा- 20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी/ अपर दण्डाधिकारी/ उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्ता/
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक
समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवीं और छठी अनुसूची द्वारा
यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित
जानजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002
द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य
पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम 2001।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

परिशिष्ट-(IV)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/जा.नि.-03-13/2015/का.
1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र
(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता श्री.....
...../पति श्री (विवाहित महिला के मामले में)
ग्राम/नगर..... जिला/प्रमंडल.....राज्य/संघशासित प्रदेश
..... जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के लिए आरक्षण
(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े
वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये धर्म को माननेवाले
हैं।

2. तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड
राज्य के ग्राम/ नगर जिला/प्रमण्डल में
निवास करता है/करते हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापांक 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित
तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक- 10.06.2002
द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक 08.09.1993
के अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदन तथा उसकी/ उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा
के आधार पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। किन्तु
क्रीमीलेयर में नहीं होने सम्बन्धी अद्यतन स्वधोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण
पत्र की वैधता स्वधोषणा पत्र समर्पित करने के वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

कार्यालय के सील सहित

परिशिष्ट-(v)

क्रीमीलेयर रहित होने सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं पिता

पति/पत्नी निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर

..... पोस्ट थाना

अंचल जिला राज्य

एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं
समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360112/22/93 स्था. (एस.सी.टी.)/ झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या दिनांक में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/ नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/ झारखण्ड सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला अंचल के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या दिनांक निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक 08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से सम्बन्धित नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि. एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-(VII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता. नीति-14-03/2016 का-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पिता/पति श्री..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०..
.....थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और
यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प
संख्या-3198 दिनांक- 18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में
निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-(VIII)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक- 14/स्थानीयता.
नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक- 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक-19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री पिता/पति श्री.....
..... पता-ग्राम/वार्ड/शहर..... पो०.....
थाना..... जिला..... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198 दिनांक-
18.04.2016 की कंडिका- में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है।
प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय
निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :

दिनांक :.....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम